



# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

**National Water Development Agency**

Ministry of Jal Shakti, Government of India

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



No. 12/32/2020-Admn./ 123

Dated: 15 January, 2021

To

Shri P.S. Panwar,  
Biora-465661  
(email ID-pspanwar1965@rediffmail.com)

Sub:- Information sought under Right to Information Act. 2005

Sir,

Please refer to your online RTI application dated 03.01.2021 received through Ministry of Water Resources, RD & GR vide **registration No. NWDAY/R/T/21/00001** and to inform that National Water Development Agency (NWDA) is a registered society under the aegis of Ministry of Jal Shakti and to inform that there is no cadre post of HOD/PAO/Controller General of Accounts Cadre is NWDA.

2. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो पत्र पाने के 30 दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अंतर्गत रा.ज.वि.अ. में प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

श्री आर.के. जैन,  
मुख्य अभियंता (मुख्या.) एवं  
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,  
रा.ज.वि.अ., 18-20 सामुदायिक केन्द्र,  
साकेत, नई दिल्ली-110017  
(e-mail Id -cehqnwda@rediffmail.com)  
फोन नं०. 26852735.

भवदीय,



(चिरंजित सरकार)

निदेशक (प्रशा.) एवं सीपीआईओ

☎ 26535141

प्रतिलिपि : निदेशक (एम.डी.यू.), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली इसे रा.ज.वि.अ. की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।